



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2057]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2015/आश्विन 1, 1937

No. 2057]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2015/ASVINA 1, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2015

का.आ. 2606 (अ).—मंत्रिमंडल के दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसरण में केन्द्र सरकार फैक्ट्रिंग ऋण के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है।

अध्याय 1

प्रस्तावना

1 (क) शीर्षक तथा आरंभ होने की तारीख

- इस योजना को फैक्ट्रिंग ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसएफ) के नाम से जाना जाएगा।
- यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी।

(ख) परिभाषा:

इस योजना के प्रयोजनों के लिए:—

- एमएसएमई की परिभाषा:** सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के संबंध में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम जो इस समय निम्नानुसार हैं:

श्रेणियां	विनिर्माण (संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश)	सेवाएं (उपस्करों में निवेश)
सूक्ष्म	अधिकतम 25 लाख रुपए	अधिकतम 10 लाख रुपए
लघु	25 लाख रुपए से अधिक परन्तु अधिकतम 5 करोड़ रुपए	10 लाख रुपए से अधिक परन्तु अधिकतम 2 करोड़ रुपए
मध्यम	5 करोड़ रुपए से अधिक परन्तु अधिकतम 10 करोड़ रुपए	2 करोड़ रुपए से अधिक परन्तु अधिकतम 5 करोड़ रुपए

(ii) **फैक्टर की [सदस्य संस्थाएं-एमआई] परिभाषा**

- क. **बैंक:** सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक जो आईबीए के सदस्य हों और **फैक्टरिंग** कारोबार कर रहे हों।
- ख. **एनबीएफसी फैक्टर की परिभाषा:** "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – **फैक्टर** (एनबीएफसी- **फैक्टर**)" का अर्थ है आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) में यथा परिभाषित कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित जिसका कोई मूल कारोबार हो और जिसे उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।
- ग. आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार आरबीआई में अपंजीकृत कोई संस्था फैक्टरिंग कारोबार कर सकती है यदि वह फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 5 में उल्लिखित कोई संस्था हो, अर्थात् वह संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई बैंक या निगम हो या कंपनी अधिनियम, 2013 (अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617) की धारा 2(45) के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी हो।

(iii) **चूक की राशि:**

दावा की गई राशि के मामले में, गारंटी के प्रति केवल निवल हानि का दावा प्रति एमएसएमई विक्रेता के अधिकतम गारंटी भुगतान के अध्वधीन किया जा सकता है।

अध्याय 2**योजना की संभावना और सीमा****2. निधि द्वारा प्रतिभूतियां**

- फैक्टरिंग ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसएफ) भारत में एमएसएमई के प्राप्यों की घरेलू फैक्टरिंग तक सीमित रहेगी।
- एक्सपोजर सीमाएं: 'बिना किसी सहायता' के फैक्टरिंग हेतु पिछले लेखा परीक्षित आंकड़ों के अनुसार क्रेता हेतु ऋण एक्सपोजर सीमा फैक्टरिंग ऋण गारंटी समूह निधि के कॉर्पस की 10% तक होगी [एएए रेटिड क्रेताओं के मामले में 20% तक ढील दी जा सकती है]।
- फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अनुसार चूक कवर करने वाले लेन-देनों में [एमएसएमई को फैक्टरिंग द्वारा प्रदान की गई सहायता] चूक में ऋण गारंटी कवर का विवरण निम्नानुसार है:
 - चूक की राशि में 10% की पहली हानि का वहन फैक्टरों द्वारा किया जाएगा।
 - चूक की राशि के शेष 90% का वहन एनसीजीटीसी तथा फैक्टरों द्वारा क्रमशः 2:1 के अनुपात में किया जाएगा।
- गारंटी योजना के अंतर्गत केवल समुनिदेशित फैक्टर ऋणों को कवर किया जाएगा।

3. कवरेज और पात्रता

- उपर्युक्त पैरा 1(ख) में यथा परिभाषित सभी एनबीएफसी फैक्टर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इत्यादि जो कि फैक्टरिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में फैक्टरिंग अथवा प्राप्य वित्त पोषण क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, कवरेज हेतु पात्र होंगे।
- ऋण गारंटी योजना जैसे ही और जब भी लागू होगी तो उसके तहत व्यापार प्राप्य भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) को कवर किया जाएगा। जब योजना प्रचालनरत हो जाएगी तो उसके उपरांत उचित दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे तथा एनसीजीटीसी को जारी किए जाएंगे।

4. योजना के अंतर्गत अपात्र फैक्टर ऋण

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फैक्टर ऋण गारंटी दिए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे:

- i. ऐसा कोई फैक्टर ऋण, उस सीमा तक कवर किया जाता है, जिसका जोखिम किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रचालनरत/अभिशासित किसी अन्य योजना के अध्यक्षीन अतिरिक्त रूप से कवर होता है।
- ii. ऐसा कोई फैक्टर ऋण, उस सीमा तक कवर किया जाता है, जिसका जोखिम सरकार अथवा किसी अन्य साधारण बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा बीमा, गारंटी अथवा क्षतिपूर्ति का कारोबार कर रहे व्यक्तियों के संगठन द्वारा अतिरिक्त रूप से कवर किया जाता है।
- iii. ऐसा कोई फैक्टर ऋण जो किसी कानून के उपबंधों अथवा केन्द्र सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निर्देश अथवा अनुदेश के अनुरूप नहीं है, अथवा किसी प्रकार असंगत है, जो कि फिलहाल लागू है।

5. फैक्टर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला करार

एनसीजीटीसी के साथ करार करने के उपरांत फैक्टर, उसके द्वारा फैक्टर किए गए पात्र ऋण के संबंध में, एनसीजीटीसी द्वारा यथा निर्दिष्ट किए गए रूप के अनुसार गारंटी हेतु पात्र होगा।

6. योजना के अंतर्गत फैक्टर की जिम्मेदारियां:

- i. फैक्टर फैक्टरिंग हेतु प्रस्ताव का मूल्यांकन सामान्य फैक्टरिंग प्रथाओं/वित्तीय विवेक के साथ मौजूदा नियमों और विनियमनों तथा उधारकर्ता के खाते (खातों) के प्रचालन के अनुरूप करेगा।
- ii. फैक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि गारंटी कवर प्रदान करने हेतु फैक्टर किए गए ऋण के संबंध में एनसीजीटीसी द्वारा अपेक्षित सूचना खाते के पहले प्रचालन की तिथि से 3 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए।
- iii. फैक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि खाते के एनपीए हो जाने की तिथि के 90 दिन की अवधि के उपरांत लेकिन 120 दिन से पहले फैक्टर किए गए ऋण तथा उधारकर्ता के संबंध में एनसीजीटीसी के साथ गारंटी दावा इस प्रकार दायर किया जाए, ताकि उधारकर्ताओं के खाते में चूक के बारे में अधिसूचित करने के संबंध में उसकी और से कोई देरी न हो जिसके परिणामस्वरूप निधि को उच्चतर गारंटी दावों का सामना करना पड़ेगा।
- iv. फैक्टर को एनसीजीटीसी द्वारा गारंटी दावे के भुगतान से मदद की गई राशि के साथ लागू होने वाले ब्याज सहित फैक्टर किए गए ऋण की समस्त बकाया राशि को उधारकर्ता से वसूल करने की फैक्टर के उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फैक्टर बकाया राशि की वसूली के लिए सभी सावधानियाँ बरतेगा और एनसीजीटीसी द्वारा सूचित की गई कार्रवाईयों सहित ऐसी सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ प्रारंभ करेगा।
- v. फैक्टर गारंटीशुदा राशि की वसूलियों को सुकर बनाने हेतु अथवा ऋण गारंटीकर्ता के रूप में उसके हितों की संरक्षा, जैसा कि एनसीजीटीसी उचित समझे, के संबंध में एनसीजीटीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे सभी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
- vi. फैक्टर किसी गारंटीशुदा खाते के संबंध में देय राशियों की वसूली तथा निधि के हितों की संरक्षा हेतु उसके पास विद्यमान सभी उपायों के लिए उतनी ही सावधानी बरतेगा जितनी की उसमें निधि द्वारा कोई गारंटी न प्रदान किए जाने की स्थिति में बरती होती। फैक्टर गारंटी को लागू करने से पहले अथवा उसके बाद में विशेष रूप से भूल-चूक के किसी भी ऐसे कृत्य करने से बचेगा जो कि गारंटीकर्ता के रूप में निधि के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों। विशेष रूप से, किसी गारंटी कवर को उधारकर्ता अथवा ऋणी के साथ किसी समझौते तथा/अथवा निपटान करने के फैक्टर के अधिकार को किसी भी प्रकार से कम अथवा प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा कोई समझौता इत्यादि एनसीजीटीसी को तत्परता से सूचित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, फैक्टर निधि अथवा उसकी नियुक्त एजेंसी के लिए, उधारकर्ता के साथ समझौते में विनिर्धारण के माध्यम से अथवा अन्य रूप से एनसीजीटीसी द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं के नामों तथा विवरणों के प्रकाशन के अधिकार को सुरक्षित बनाएगा।

अध्याय III**गारंटी शुल्क****7. गारंटी शुल्क**

- i. निधि के व्यापक कवरेज तथा उसकी संपोषणीयता (निरन्तरता) को सुकर बनाने के उद्देश्य से एमएलआई पर प्रभार्य गारंटी शुल्क पिछले माह के अंत पर बकाया शेष का "सहायता सहित फैक्ट्रिंग" के लिए 0.10% प्रति माह तथा "सहायता बिना फैक्ट्रिंग" के लिए 0.12% होगा।
- ii. पहला गारंटी शुल्क अगले माह के प्रारंभ से देय होगा क्योंकि गारंटी कवर एनसीजीटीसी द्वारा शुल्क प्राप्ति की तिथि से उपलब्ध होगा। तदनन्तर, गारंटी शुल्क का भुगतान, जिस माह का है, उस कैलेंडर माह के अंत के 7 दिन के भीतर करना होगा (फैक्टर को माह की समाप्ति से 3 दिन के भीतर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके उपरांत प्रबंधन प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के 1 दिन के भीतर एनसीजीटीसी द्वारा एक ऋण गारंटी मांग परामर्श नोट [सीजीडीएएन] जारी किया जाना होगा)। यह भी बताया जाता है कि गारंटी शुल्क के गैर-भुगतान की दशा में, ऐसी ऋण सुविधा को गारंटी देने की निधि का उत्तरदायित्व उन सुविधाओं के संबंध में समाप्त हो जाएगा, जिनके लिए सेवा प्रभार देय थे तथा उनका भुगतान नहीं किया गया।
- iii. पात्र फैक्टर द्वारा देय गारंटी शुल्क के समकक्ष की राशि उसके अपने विवेक पर उसके द्वारा पात्र उधारकर्ता से वसूल की जा सकती है।
- iv. एनसीजीटीसी को एक बार भुगतान किया गया गारंटी शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा। निम्नलिखित कुछ परिस्थितियों के अलावा गारंटी शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी जैसे-
 - अतिरिक्त विप्रेषण,
 - फैक्टर किए गए ऋण के लिए एक बार से अधिक किए गए विप्रेषण,
 - अग्रिम में भुगतान किया गया गारंटी शुल्क परन्तु योजना, आदि के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए अनुप्रयोग अनुमोदित नहीं।

अध्याय IV**गारंटी****8. गारंटी की मात्रा**

- फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अनुसार, फैक्ट्रिंग लेन-देन पर चूकवश कवर की गयी राशि पर ऋण गारंटियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:
 - फैक्टरों द्वारा चूकवश वहन की जाने वाली राशि की 10% की प्रथम हानि।
 - चूकवश राशि का शेष 90% एनसीजीटीसी तथा फैक्टरों द्वारा क्रमशः 2:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
 गारंटी कवर गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख से शुरू होगा और फैक्ट्रिंग सुविधा के प्रचालन के माध्यम से लागू होगा।

अध्याय V**दावे****9. गारंटी का नवीनीकरण**

वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित निधि के साथ दावे एनपीए में बदलने की तारीख से 90 दिनों के बाद परन्तु 120 दिन से पहले दायर किए जाएंगे। जबकि, दावा राशि के 75% का दावा दर्ज करने और अपेक्षित दस्तावेज पूर्ण होने की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा, दावा राशि के शेष 25% का प्रथम निपटान की तारीख से 24 माह बाद या फैक्टर के प्रमाण-पत्र पर आधारित सभी विधिक उपायों, जो भी पहले हो, का उपयोग करने के बाद किया जाएगा।

10. भुगतान किए गए दावों के कारण अधिकारों और वसूली का प्रस्थापन

- फैक्टर वसूली, प्रापण हेतु अपने प्रयास और ऐसी अन्य सूचना, जो समय-समय पर मांगी गई हो अथवा अपेक्षित हो, का ब्यौरा एनसीजीटीसी को भेजेगा।
- वसूल की गई प्रत्येक राशि और एनसीजीटीसी को अदा की जाने वाली देय राशि का अविलंब भुगतान किया जाएगा और यदि एनसीजीटीसी को देय कोई राशि उस तारीख से जिसको इसकी प्रथम वसूली की गई थी 30 दिन की अवधि के बाद अदत्त रहती है तो ब्याज फैक्टर द्वारा उस दर पर जो उस अवधि हेतु जिसके लिए 30 दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद भुगतान बकाया रहता है, बैंक दर से 4% अधिक है, का फैक्टर द्वारा एनसीजीटीसी को देय होगा।
- किसी ग्राहक के अनेक तथा अलग-अलग ऋण होने पर तथा उसके किसी एक अथवा अनेक ऋणों के संबंध में फैक्टर को किए गए भुगतानों की दशा में भले ही वे खाते निधि की गारंटी में कवर होते हों अथवा नहीं, किए गए ऐसे भुगतानों, इस खंड के प्रयोजन हेतु, के बारे में यह माना जाएगा कि ऋणदात्री संस्थाओं ने गारंटी द्वारा कवर किए गए फैक्टर ऋण विनियोजित कर लिए हैं तथा जिसके संबंध में दावा और भुगतान किया गया है, भले ही ग्राहक द्वारा इंगित विनियोजन का तरीका अथवा वह तरीका जिसमें ऐसे भुगतानों को वास्तविक रूप से विनियोजित किया है, अलग हो।

अध्याय VI

विविध

11. गारंटी की याचना किए जाने के बाद ऋण सुविधा के संबंध में फैक्टर द्वारा वसूल की गई राशि का विनियोजन

गारंटी दावे का आह्वान किए जाने के बाद यदि कोई वसूली की जाती है, वित्तीय संस्थाएं राशि की वसूली हेतु उनके द्वारा किए गए विधिक खर्च के प्रति ऐसी वसूलियों को पहले समायोजित करेंगी और तब एनसीजीटीसी द्वारा निपटाए गए दावे की राशि की सीमा तक एक खाते में हुई वसूलियों को अनुपात में साझा करेंगी।

12. कतिपय मामलों में समाप्त की जाने वाली निधि की देयता

- यदि इस योजना के अंतर्गत गारंटीशुदा फैक्टर ऋण के कारण फैक्टर के प्रति उधारकर्ता की देयताएं किसी अन्य उधारकर्ता को अंतरित अथवा सौंपी जाती हैं और यदि उधारकर्ता की पात्रता के अनुरूप शर्तें और फैक्टर ऋण की राशि और अन्य शर्तें एवं निबंधन, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत इस योजना के तहत फैक्टर ऋण की गारंटी दी जा सकती है, उक्त अंतरण अथवा समनुदेशन के पश्चात् पूरा नहीं की जाती हैं तो फैक्टर ऋण की गारंटी को उक्त अंतरण अथवा समनुदेशन की तारीख से समाप्त की गई समझी जाएंगी।
- यदि एक उधारकर्ता इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए फैक्टर ऋण हेतु अपात्र हो जाता है तो स्कीम के फैक्टर द्वारा उन्हें प्रदान किए गए फैक्टर ऋण की निधि की देयता को उस तारीख की स्थिति के अनुसार जिसको उधारदाता अपात्र हो जाता है फैक्टर के लिए उधारदाता की देयता सीमाओं, यदि कोई हो, के अध्यधीन इस योजना के अंतर्गत निर्धारित निधि की देयता पर सीमित होगी।

13. विवरणियाँ एवं निरीक्षण

- फैक्टर ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी सूचना देगा जैसा कि एनसीजीटीसी को इस योजना के तहत फैक्टर ऋण के संबंध में अपेक्षित हो।
- फैक्टर सभी ऐसे दस्तावेज, प्रतियां, प्रमाण-पत्र और अन्य लेख जैसा कि बाद में अपेक्षित हो, एनसीजीटीसी को भी प्रस्तुत करेगा तथा पुष्टिकृत माना जाएगा कि ऐसे दस्तावेजों की विषय-वस्तु, प्राप्तियां प्रमाण-पत्र और अन्य लेख सही है बशर्ते कि कोई दावा अस्वीकार नहीं किया जाएगा और सदभाव से किए गए किसी कार्य के लिए फैक्टर अथवा किसी अधिकारी का कोई उत्तरदायित्व जुड़ा नहीं होगा।
- एनसीजीटीसी/अथवा उसका कोई प्रतिनिधि, जहां तक योजना के उद्देश्य हेतु आवश्यक समझा जाए, के पास फैक्टर तथा फैक्टर के किसी उधारकर्ता के खाता बहियों और अन्य अभिलेखों (अग्रिमों के प्रचालन के संबंध में सामान्य अनुदेशों को कवर करने वाले अनुदेशों अथवा संहिता अथवा परिपत्रों की किसी पुस्तक सहित) के निरीक्षण अथवा प्रतिलिपियां मंगवाने का अधिकार होगा। ऐसे निरीक्षण एनसीजीटीसी के अधिकारियों के माध्यम से अथवा निरीक्षण

के उद्देश्य हेतु एनसीजीटीसी द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराए जा सकते हैं। फैक्टर अथवा उधारकर्ता के प्रत्येक अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी जो कि इस स्थिति में है एनसीजीटीसी के अधिकारियों अथवा निरीक्षण हेतु नियुक्त व्यक्ति जैसा भी मामला हो, को अपने दखल के अंतर्गत खाता बहियों और अन्य अभिलेखों और जानकारी उपलब्ध कराएगा।

14. योजना के अंतर्गत फैक्टर पर लगायी गयी बाध्यकारी शर्तें

- निधि द्वारा दी गयी कोई गारंटी योजना के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार अभिशासित होगी जैसे कि वह ऐसी गारंटी का साक्ष्य देने वाले दस्तावेजों पर लिखे गए हों।
- जहां तक संभव होगा फैक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के अंतर्गत गारंटीशुदा खाते के संबंध में किसी संविदा की शर्तें योजना के प्रावधानों की विरोधी नहीं हैं लेकिन किसी अन्य दस्तावेज अथवा संविदा में किसी प्रावधान के होने के बावजूद भी फैक्टर निधि/एनसीजीटीसी के संबंध में योजना के अंतर्गत लगायी गयी शर्तों से बंधा होगा।

15. आशोधन एवं छूट

- एनसीजीटीसी के पास योजना को आशोधित करने, रद्द करने अथवा प्रतिस्थापित करने का अधिकार सुरक्षित है, तथा उस तारीख तक योजना के तहत जारी की गई गारंटी के अंतर्गत उत्पन्न अधिकार अथवा बाध्यताएं जिसको ऐसे आशोधन, निरसन अथवा प्रतिस्थापन लागू होता है, प्रभावित नहीं होंगे।
- इसमें किसी बात के होते हुए भी एनसीजीटीसी को किसी खाते के संबंध में जिसकी गारंटी ऐसे परिवर्तन की तारीख को जारी नहीं की गई है, योजना की शर्तें एवं निबंधन को बदलने का अधिकार होगा।
- स्कीम के रद्द किए जाने की स्थिति में इस योजना द्वारा कवर की गई सुविधाओं के संबंध में निधि के प्रति कोई दावा नहीं होगा जब तक कि उस तारीख से पूर्व जिसको निरसन लागू होता है, फैक्टर द्वारा स्कीम की धारा 10 के खंड (i), (ii) एवं (iii) में निहित उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

16. व्याख्या

यदि इस योजना के किसी प्रावधान अथवा इसके बारे में दिए गए किसी निदेश अथवा अनुदेश या स्पष्टीकरण की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो एनसीजीटीसी का निर्णय अंतिम होगा।

17. अनुपूरक तथा सामान्य प्रावधान

इस योजना में विशेष रूप से व्यवस्था न किए गए किसी मामले के संबंध में एनसीजीटीसी ऐसा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है अथवा योजना के प्रयोजनार्थ यथा आवश्यक ऐसे अनुदेश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

अध्याय VII

फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि

18. न्यास का नाम एवं पंजीकरण

योजना का संचालन करने के लिए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत न्यासियों के बोर्ड द्वारा "फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि" नाम से ऋण जोखिम गारंटी निधि की स्थापना की गई है।

19. उद्देश्य

न्यास के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- फैक्टर ऋण को आंशिक गारंटी देना तथा "बिना सहायता के फैक्टरिंग" का संवर्द्धन करके भारत में एमएसएमई की प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग को प्रोत्साहित करना।
- सैटलर द्वारा यथा निर्धारित अथवा सैटलर के पूर्वानुमोदन से न्यासी के बोर्ड के स्वरूप जैसे निधि की किसी अन्य योजना को प्रारंभ करना/अर्जित करना/प्राप्त करना/अधिकार में लेना/चलाना/कार्यान्वित करना।

- (ग) गारन्टीकृत ऋणों का प्रतिभूतिकरण करना और न्यासी द्वारा यथा निर्धारित तरीके से अन्य सभी कृत्य अथवा कार्य करना जैसा कि या तो इसके प्रत्यक्ष रूप में अथवा अन्यथा आवश्यक हो;
- (घ) न्यास के उचित तथा प्रभावी प्रबंधन हेतु आवश्यक सभी व्ययों को पूरा करने के लिए स्टाफ की नियुक्ति करना, संपत्ति का अधिग्रहण, धारिता और निपटान करना तथा उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक अथवा सहयोगी सारे अन्य कृत्य अथवा कार्य करना।
- (ङ) अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं/एजेंसियों, व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, से अनुदान, दान, अंशदान प्राप्त करना।
- (च) न्यास के कार्यों के निष्पादन के दौरान आवश्यक और यथोचित समझे जाने वाले कार्य विनिमय बिल, हंडियों, प्रोमिसरी नोटों और ऐसी अन्य लिखतों को निष्पादित और जारी करना।
- (छ) उपर्युक्त दिए गए उद्देश्यों हेतु यथा प्रासंगिक अथवा परिणामी अन्य कृत्यों और कार्यों को करना।

20. न्यासियों का बोर्ड

- (क) सैटलर एतद्वारा राष्ट्रीय ऋण गारन्टी न्यास कंपनी लि., भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय जीवनदीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 पर है, को उसमें उपलब्ध न्यास निधि का प्रबंधन और प्रचालन करने के लिए नियुक्त करना है।
- (ख) ट्रस्टी फैक्ट्रिंग के लिए ऋण गारंटी योजना को संचालित करेगा, आवश्यकतानुसार जिसमें समय-समय पर व्यवस्थापनकर्ता द्वारा परिवर्तन अथवा बदलाव अथवा संशोधित किया जा सकता है, ये परिवर्तन/बदलाव ट्रस्टी को सूचना देने की तिथि से मान्य होगा और ट्रस्टी को अपने आधार संरचना आदि को बदलने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
- (ग) ट्रस्टी किसी अन्य योजनाओं को संचालित करेगा, आवश्यकतानुसार जिसमें समय-समय पर व्यवस्थापनकर्ता द्वारा परिवर्तन अथवा बदलाव अथवा संशोधित किया जा सकता है, ये परिवर्तन/बदलाव ट्रस्टी को सूचना देने की तिथि से मान्य होगा और ट्रस्टी को अपने आधार संरचना आदि को बदलने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।

21. ट्रस्टी का अधिकार और कार्य

- (क) ट्रस्टी या तो स्वयं अथवा किसी अन्य इकाई के माध्यम ट्रस्ट के कार्यों का प्रबंधन और प्रशासन करेगा और ट्रस्ट और उससे संबंधित और जुड़े हुए मामले का सम्पूर्ण पर्यवेक्षणकर्ता और संचालनकर्ता होगा।
- (ख) ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करना है और गारंटी योजना में यथानिहित फैक्ट्रिंग के लिए ऋण गारंटी निधि योजना के कार्यान्वयन को अंजाम देता है जिसमें ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय-समय पर व्यवस्थापनकर्ता द्वारा परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है अथवा अन्य योजना द्वारा प्रतिस्थापित अथवा बदली जा सकती है।
- (ग) व्यवस्थापनकर्ता और भी योजनाओं को आरम्भ कर सकता है। यदि वह ट्रस्ट और उससे संबंधित और जुड़े हुए मामले के उद्देश्य को पूरा करने का इच्छुक है और व्यवस्थापनकर्ता द्वारा यथा अधिदेशित ट्रस्टी ट्रस्ट की योजनाओं को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा। व्यवस्थापनकर्ता द्वारा प्रस्तावित ऐसा और जब कभी ऐसी कोई योजना के आरम्भ करने पर अथवा कोई मौजूदा योजना का संशोधन/फैक्ट्रिंग के लिए ऋण गारंटी निधि योजना के साथ-साथ उसी प्रकार संशोधित और बदली जायेगी।
- (घ) ट्रस्टी के पास भारत और/या विदेश के किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, एजेंसियों, संस्थाओं, कार्पोरेट इकाई आदि से किसी प्रकार का दान और अंशदान (चाहे ऐसे दान अथवा अंशदान रूपये में अथवा अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति अथवा कोई अन्य रूप में हो), जो उपर्युक्त शर्तों में उचित हो, को स्वीकार करने का अधिकार और विवेक होगा, बशर्ते कि ऐसे दान अथवा अंशदान उन शर्तों पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को असंगत अथवा घृणास्पद न हो और ट्रस्ट के नाम के किसी अन्य नाम को जोड़ा न जाए।
- (ङ.) ट्रस्ट के नाम पर अथवा उसके लिए ऐसे सभी अधिनियमों, कार्यों और तत्वों को करने और संचालित करने और ऐसे सभी मोलभाव और संविदाओं में प्रवेश करना क्योंकि ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए व्यावहारिकता अथवा किसी मामला अथवा अन्य के संबंध में विचार कर सकता है।

(च) ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ट्रस्टी को सम्पत्तियों के अर्जित करने, संभालने और निपटान करने का अधिकार और विवेक है चाहे और वित्तीय सावधानी और पारदर्शिता के शर्तों के अंतर्गत अथवा अचल समसम्पत्ति और संविदा हो।

(छ) ट्रस्टी ऊपर दिए गए प्रावधानों के अध्यक्षीन न्यास की संपत्तियों, आस्तियों तथा निधियों से, तथा ऐसी अन्य स्थायी निधियों, तथा सरकारी अनुदानों तथा किसी अन्य स्रोतों से जो कि प्राप्त कर पाएँ से प्राप्त होने वाले अन्य से ट्रस्ट की संपत्तियों के उचित रख-रखाव, सभी किरायों और करों के भुगतान, ट्रस्टी द्वारा किसी उधार के पुनर्भुगतान हेतु ऐसी राशियों के भुगतान तथा ट्रस्ट के उचित और दक्ष प्रबंधन हेतु ट्रस्टी अपने विवेक से आवश्यक समझे जाने वाले सभी व्ययों के लिए धन की ऐसी राशि अथवा राशियों का व्यय करेंगे तथा विशेष रूप से समस्त स्टाफ और सेवकों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान, पुस्तकों, उपस्कर व फर्नीचर, सॉफ्टवेयर और आईटी अवसंरचना के क्रय, लाइसेंस फीस इत्यादि, स्टाफ की भविष्य निधि, उपदान, पेंशन इत्यादि के लिए प्रबंधन अंशदान का भुगतान तथा सामान्यतः सभी मामले तथा कार्य जो कि किसी लक्ष्य, उद्देश्य अथवा ट्रस्ट के संबंध में किसी प्रकार से अथवा ट्रस्ट की किसी योजना हेतु ऐसे सभी कृत्य, विलेख और कार्य एवं ऐसी शक्तियों का उपयोग व ऐसे सभी दस्तावेजों, प्रमाणपत्र, फार्मों, रिपोर्टों, घोषणाओं, शपथ-पत्रों, क्षतिपूर्तियों पर हस्ताक्षर व निष्पादन करेगी जैसा कि ट्रस्ट/योजना/निधियों अथवा उनमें से किसी अथवा किसी प्रकार से उनसे जुड़े मामलों के संबंध में कार्यों और ड्यूटियों के निर्वहन में आवश्यक हों।

(ज) ट्रस्टी ट्रस्ट की ओर से किसी खाते को खोलने एवं परिचाति करने, किसी संविदा का निष्पादन करने, वचन पत्र (प्रॉमिसरी नोट), स्टॉक, शेयर प्रमाण पत्र, प्रतिभूतियों और ट्रस्ट के नाम पर या उसके नाम पर धारित और उसके द्वारा धारित वस्तुओं के विलेख कागजात को पृष्ठांकित करने और अंतरित करने और विनिमय बिल और अन्य लिखतों को आहरित करने, स्वीकार करने, पृष्ठांकित करने तथा अन्य सभी लेखाओं प्राप्तियों कागजातों या पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यासी के किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है।

(झ) ट्रस्टी ऐसे उद्देश्यों, जिसे वह सही समझे, के लिए गठित कर सकता है जिसमें सरकार, संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, संगठनों आदि के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों सहित आंशिक रूप से ट्रस्टी के निदेशकों एवं आंशिक रूप से अन्य व्यक्ति शामिल हों। इस प्रकार के गठित सलाहकार समिति(यों) के गैर-सरकार सदस्यों की ऐसी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए ट्रस्टी बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित शुल्क एवं भत्ते का भुगतान किया जाएगा और ऐसे खर्चों को ट्रस्ट निधि की आय/कॉरपस से दिया जाएगा।

(ञ) ट्रस्ट ट्रस्टी के माध्यम से मुकदमा करेगा और मुकदमे का सामना करेगा और ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करने या क्रियान्वित की जा रही किसी योजना या योजनाओं से संबंधित और ट्रस्ट निधि से उनके पारितोषिकों और प्रभारों का भुगतान करने के संबंध में और सद्भावपूर्वक सलाहकार और विचार प्राप्त करने के परिणाम के लिए उत्तरदायी हुए बिना उनके विचार और सलाहों पर विचार करने के लिए ट्रस्टी बोर्ड वकीलों, सॉलिसिटर्स, मुल्यांककों, सनदी लेखाकारों, कंपनी सचिव या इस मामले में विशेषज्ञ की नियुक्ति सहित लेकिन सीमित न करते हुए इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए अपने अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्योजन करेगा।

(ट) आमतौर पर फिलहाल लागू अनुप्रयोज्य कानूनों के अंतर्गत प्रयोग के लिए यथा अपेक्षित ऐसे सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा सेटलर/ट्रस्ट की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यथापेक्षित सभी कार्यों को करने या ऐसी सभी या किसी शक्तियों अधिकारों का प्रयोग करने और लागू करने के लिए और इसके कार्यों को पूरा करने के लिए अनुषांगिक और उससे जुड़े मामले।

(ठ) ट्रस्ट के स्पष्ट कार्यकाल के अनुसार इसे सौंपे गए सभी बाध्यताओं, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों/सेटलर द्वारा उसके किसी स्पष्टीकरण या संशोधन या अनुप्रयोज्य कानून को पूरा करेगा।

22. कर्मचारी

उस मामले के लिए ट्रस्ट या निधि से संबंधित किसी कार्यों के लिए वित्तीय दायित्व या देयता प्रदान करने के बिना ट्रस्टी द्वारा न्यास का प्रबंधन व्यावसायिक रूप से किया जायेगा। यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रस्ट के प्रबंधन कार्यों के संबंध में तथा उसे पूरा करने के लिए किसी ट्रस्टी, उसका बोर्ड, व्यक्तिगत निदेशकों, अधिकारियों या प्रतिनिधियों या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की किसी देयता को अपने ऊपर लेगा और न ही इस संबंध में किसी वित्तीय दायित्व को अपनाएगा। इस

संबंध में ट्रस्ट को चाहिए कि वह ट्रस्टों, उसके बाद उसके कर्मचारियों, अन्य व्यक्तियों को उपर्युक्त क्षतिपूरित व्यक्तियों के रूप में बनाए रखें।

23. कार्यालय – बेयरर (वाहक) के रूप में ट्रस्टी को भत्ता

ट्रस्टी को समय-समय पर निर्धारित ऐसे शुल्क, प्रभार तथा व्ययों (उस पर योग्य कर सहित) का भुगतान किया जाना है। ट्रस्टी को अपने कार्यनिष्पादन, शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा इस पट्टे के तहत निर्धारित दायित्वों का निर्वाहन के समय हुई व्यय का सही तथा उचित पुनर्भुगतान किया जा सकता है।

अपने अनौपचारिक निदेशकों या अधिकारियों सहित ट्रस्ट को ट्रस्टी द्वारा व्यवस्थापक से परामर्श करके समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान तथा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। बैठकों के आयोजन से संबंधित सभी व्यय तथा इस संबंध में हुई सभी राशि (शुल्क/यातायात एवं आवास तथा बोर्डिंग व्यय के माध्यम से) का भुगतान ट्रस्टी की निधियों से किया जाएगा।

24. लेखा परीक्षा

प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउण्टेंट या चार्टर्ड एकाउण्टेंट की संस्था, जिसकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सिफारिश पर ट्रस्टी द्वारा किया जाता है, के द्वारा, ट्रस्ट के खातों की लेखा परीक्षा किया जाना है। इस तरह के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तथा कार्यकाल का निर्धारण ट्रस्ट के निदेशक बोर्ड के द्वारा निर्धारित होंगे।

ट्रस्ट के लेखा परीक्षित खातों को इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए निदेशक बोर्ड के बैठक में स्वीकार किया जाएगा तथा इस तरह स्वीकार किए जाने से एक महीने के समयकाल के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उसकी प्रति व्यवस्थापक को अलग से प्रस्तुत किया जाना है।

25. क्षतिपूर्ति

- (क) ट्रस्टी निदेशक बोर्ड के प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक, अन्य अधिकारी, ट्रस्ट के प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी प्रकार की हानियों, क्षतियों, दावों आदि और उनके द्वारा जानबूझकर या सुविचारित तरीके से किए गए कार्य के कारण हुए खर्चों को छोड़कर उनके द्वारा उठाए गए खर्चों के बदले न्यास द्वारा क्षतिपूर्तिबद्ध किया जाएगा।
- (ख) ट्रस्टी अपने किसी कर्मचारी के कार्य और उनके अधिकार वाली किसी संपत्ति को छोड़कर अपने किसी कर्मचारी द्वारा किए गए विश्वास भंग के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- (ग) ट्रस्टी व्यवस्थापक के किसी अनुरोध या सलाह के अनुसार या के अनुसरण में विश्वासपूर्वक ट्रस्टी द्वारा किए गए या किए जाने से छोड़ दिए गए या कुछ किए जाने के नुकसान के कारण किसी देयता का कारक नहीं होगा।
- (घ) इसमें दिए गए किसी बात को नहीं माना जाएगा ताकि न्यास के समान या उससे अलग ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने से ट्रस्टी को रोका जा सके और इसके अपने उपयोग और लाभ, पारितोषिक, लाभ और फायदे को बनाए रखा जा सके जो यह वहां से प्राप्त करे।
- (ङ) यदि ट्रस्टी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ट्रस्टी के किसी अन्य अधिकारी से ट्रस्ट की निधि और/या सेटलर/न्यासी और ट्रस्ट निधि की आय और इन दस्तावेजों के उपबन्ध से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए अनुप्रयोज्य कानून द्वारा अपेक्षित है, और सद्भाव से ऐसे अनुरोध, चाहे यह तथ्य लागू करने योग्य हो अथवा नहीं, का पालन करता है तो ट्रस्टी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यासी के किसी अन्य अधिकारी का सेटलर या उनमें से किसी अन्य पक्ष के प्रति ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप या ऐसे अनुपालन के अनुरूप कोई देयता नहीं होगी।
- (च) तथापि, किसी बात के होते हुए भी (क) सेटलर के हितों की रक्षा में जानबूझकर हुई चूक, (ख) इसकी अपनी गंभीर लापरवाही, धोखाधड़ी और विश्वसनीयता से हुए विश्वासभंग, और अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपेक्षित ध्यान देने और सावधानी बरतने में असफलता के लिए न्यासी को छूट नहीं देगा और क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।

26. सेटलर के अधिकार

- (क) इसके खण्ड 28 के उपबंधों के अध्यक्षीन न्यास अखण्डनीय है। पूर्वोक्त के अध्यक्षीन इस घोषणा की शर्तों में बदलाव या संशोधन किया जा सकता है और सेटलर द्वारा नई योजनाओं को जोड़ा जा सकता है, संशोधित या बदलाव किया

जा सकता है। तथापि, इस शर्त के अधीन कि इससे पूर्व निर्धारित ट्रस्ट के लक्ष्यों के विपरीत कोई संशोधन मान्य और प्रभावी नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त खंड (I) के अधीन

i. सेटलर प्रतिसंहरणीय या अप्रतिसंहरणीय कार्य या कार्यों या इस अधिकार या इससे जुड़े संपत्ति के विषय से संदर्भित संव्यवहार द्वारा किसी भी समय ट्रस्ट की अधिक निधियों का निपटान कर सकता है और ट्रस्टी की नियुक्ति कर सकता है जैसा या उचित समझे;

ii. सेटलर समय-समय पर कार्य संव्यवहार और इन सभी मामलों में जिसके लिए इस घोषणा में प्रावधान किए गए हैं के संबंध में, जैसा उचित हो, नियुक्ति और ट्रस्टी के अधिकारों तथा नियमों और विनियमों सहित प्रावधानों में बदलाव ला सकता है।

27. न्यायालय की अधिकारिता

दिल्ली के सक्षम न्यायालय के पास इस घोषणा की व्याख्या और निर्माण या ट्रस्ट के अभिशासन और संबंधित मामलों से संबंधित किसी प्रश्न के निर्णय की स्पष्ट अधिकारिता होगी।

28. ट्रस्ट की समाप्ति

यदि ट्रस्ट के सृजन का उद्देश्य असफल होगा या ट्रस्टी द्वारा उसे पूरा नहीं किया जाएगा, तो सेटलर ट्रस्ट और ट्रस्ट की संपत्ति को किसी अन्य उद्देश्य या उसके जैसे किसी अन्य कार्य जिसे सेटलर उचित और उपयुक्त समझेगा में लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

29. क्रियान्वयन और परिचालन लागत

(क) निधि की योजनाओं को ट्रस्टी अर्थात् भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी "राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि." (एनसीजीटीसी) द्वारा परिचालन एवं क्रियान्वित किया जाएगा और इसे ट्रस्टी के रूप में कार्य करने और भारत सरकार, अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि द्वारा स्थापित/स्थापित किए जा रहे/स्थापित किए जाने वाले विभिन्न ऋण गारंटी निधियों के परिचालन के लिए गठित किया गया है।

(ख) ट्रस्टी सदस्य संस्थानों के पंजीकरण, गारंटी के अनुमोदन, गारंटी के रख-रखाव, शुल्क संग्रहण, दावा निपटान, निधियों का निवेश, आईटी प्लेटफार्म पर योजना का प्रचार आदि और इस योजना के परिचालन से जुड़े मामलों सहित योजना के दैनंदिन परिचालन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ग) इस ट्रस्ट के अंतर्गत इस योजना को चलाने की समस्त परिचालनात्मक लागत को गारंटी शुल्क, ट्रस्ट निधि से संबंधित व्याज और प्रभार सहित ट्रस्ट की आय में से ट्रस्टी द्वारा पूरा किया जाएगा और ट्रस्टी ट्रस्ट की आय या कारपस से, जैसा भी मामला हो, उसका दावा करने का हकदार होगा।

30. निवेश

ट्रस्टी कारपस निधि या किसी अन्य निधि या खाते में उपलब्ध राशि का निवेश किसी ऐसी निवेश प्रतिभूतियों/लिखतों या कॉल मनी या अन्य मुद्रा बाजारों में उधार देने के लिए कर सकता है जो ट्रस्टी के निदेशक मंडल या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की किसी समिति द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फिलहाल अपेक्षित न हो। ट्रस्टी प्रबंधन वित्तीय विवेक के सिद्धांतों या प्रबंधन समिति द्वारा यथा निर्देशित तरीके से निर्देशित होगा और ऐसे निवेश से उत्पन्न किसी हानि या नुकसान या देयता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

31. उधार

ट्रस्टी को भारत या/और विदेश से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से निधियां उधार लेने जिसे ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होंगी, साथ ही प्रतिभूति के रूप में ट्रस्ट की आस्तियों को देने की शक्तियों या और गारंटियां देने के लिए जो कि ऐसे उधारों के लिए आवश्यक होंगी, का अधिकार होगा बशर्ते कि ऐसे सभी उधार सेटलर के पूर्वानुमोदन के पश्चात लिए गए हों।

अध्याय VIII**विविध****32. नियमों का प्रत्यायोजन/तैयारी**

ट्रस्टी अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करेंगे और ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने और पूरा करने तथा ट्रस्ट के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाएंगे। खास करके और ऐसी शक्तियों की व्यापकता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के न्यासी निम्नलिखित मामलों के सभी या किसी की व्यवस्था दे सकता है, नामतः-

- (क) गारंटी, अधिकार और बाध्यता, उसके निबंधन और शर्तों के मामले;
- (ख) प्रपत्र और तरीका जिसमें ऐसी गारंटी को जारी करने के उद्देश्य से या इससे संबंधित मामले में आवेदन किया जा सकता है;
- (ग) गारंटी का निर्गम और प्रपत्र और तरीका जिसमें ऐसी गारंटी को या इससे संबंधित मामले को जारी किया जा सकता है;
- (घ) किसी गारंटी या उससे संबंधित किसी मामले के अंतर्गत दावे के निपटान की प्रक्रिया;
- (ङ.) किसी योजना या निधि के संबंध में पूंजी का आवंटन, इसके संबंध में अलग खातों का रख-रखाव और इस योजना या निधि से संबंधित अन्य मामले;
- (च) प्रत्येक योजना और निधि के लिए अलग खातों के रख-रखाव या ऐसी योजना और खातों के सभी पहलुओं के उसकी शर्तों के अनुसार प्रशासन जैसे मामलों सहित किसी एक या अधिक योजना या निधि के संबंध में निधियों के रिकॉर्डों के विवरणों के रख-रखाव का तरीका;
- (छ) ट्रस्ट के लक्ष्यों के अनुसार और ट्रस्ट के अधिकारों और प्राधिकारों जैसी कि इसमें व्यवस्था की गई है, के अनुसार, ट्रस्ट द्वारा निवेश के मानदण्ड;
- (ज) ऐसे अन्य प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक या ट्रस्ट या किसी योजना या उसकी निधि के कार्यों के प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित अन्य मामले और जिन मामलों को प्राकृतिक रूप से इनमें शामिल नहीं किया जाना है और इस करार में नहीं दिए गए हैं और उस मामले के सेटलर के आदेश में नहीं है;
- (झ) ट्रस्टी सलाहकार समितियों या अन्य समितियों या उससे संबंधित किसी मामले के किसी बैठक के आयोजन की प्रक्रिया;
- (ञ) इसके कर्मचारियों की नियुक्ति, भर्ती और उनकी सेवा शर्तें आदि;
- (ट) ट्रस्ट की योजना के परिचालन के लिए आनुषंगिक और उससे जुड़ा कोई अन्य मामला।

[फा. सं. 17/6/2013-आईएफ-II (खण्ड-II)]

वी. एल. वी. एस. एस. सुब्बा राव, आर्थिक सलाहकार-I

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2015

S.O. 2606(E).—In pursuance of the approval of the Cabinet vide its minutes of the meeting dated 10th December 2014 the Central Government hereby makes the following scheme for the purpose of providing guarantees in respect of factoring loans.

CHAPTER I
INTRODUCTION

1 (a) Title and date of commencement

- (i) The Scheme shall be known as the Credit Guarantee Fund Scheme for Factoring (CGFSF).
(ii) It shall come into force from the date of notification by the Government of India.

(b) Definitions:

For the purposes of this Scheme -

- (i) **Definition of MSME** : Micro, Small and Medium Enterprises as defined in terms of Micro, Small & Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 which is at present as under:

Categories	Manufacturing (Investment in plant and machinery)	Services (Investment in equipments)
Micro	Does not exceed Rs.25 lakh	Does not exceed Rs. 10 lakh.
Small	More than Rs.25 lakh but does not exceed Rs.5 crore.	More than Rs.10 lakh but does not exceed Rs. 2 crore.
Medium	More than Rs.5 crore but does not exceed Rs.10 crore.	More than Rs. 2 crore but does not exceed Rs. 5 crore.

(ii) **Definition of Factors [Member Institutions- MI]**

- (a) **Banks** : All public sector banks, private sector banks and foreign banks which are members of IBA and are carrying out factoring business.
(b) **Definition of NBFC Factor** : "Non-Banking Financial Company - Factor (NBFC-Factor)" means a non-banking financial company as defined in clause (f) of section 45-I of the RBI Act, 1934 and which has its principal business as defined by RBI and has been granted a certificate of registration under sub-section (1) of section 3 of the Act.
(c) As per RBI instructions, an entity not registered with the RBI may conduct the business of factoring if it is an entity mentioned in Section 5 of the Factoring Regulations Act 2011 i.e. a bank or any corporation established under an Act of Parliament or state Legislature, or a Government Company as defined under section 2(45) of the Companies Act, 2013 (viz. section 617 of the Companies Act, 1956).

(iii) **Amount in Default:**

On the issue of claim amount, only the net loss could be claimed against the guarantee subject to maximum guarantee payment per MSME seller.

CHAPTER II
SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME

2. Guarantees by the Fund

- The Credit Guarantee Fund Scheme for Factoring (CGFSF) shall be confined to domestic factoring of receivables of MSMEs in India.
- Exposure Limits: The exposure limit for purchaser would be upto 10% [relaxable upto 20% in case of AAA rated purchasers] of the corpus of Credit Guarantee Corpus Fund for Factoring as per the last audited figures for factoring 'without recourse' only.

- Credit guarantees cover on the amount in default covering factoring transactions [assistance extended by factors to MSMEs] as per Factoring Regulations Act 2011 is detailed here under:
 - First loss of 10% of the amount in default to be borne by Factors.
 - The remaining 90% of the amount in default will be borne by NCGTC and Factors in the ratio of 2:1 respectively.
- Only the assigned factored debts would be covered under guarantee scheme.

3. Coverage and Eligibility

- All NBFCs-Factor, scheduled commercial banks etc., as defined under Para 1(b) above, engaged in factoring or receivable financing activities in compliance with the Reserve Bank of India guidelines pertaining to factoring shall be eligible for coverage.
- Trade Receivables Discounting System [TReDS] to be covered under the Credit Guarantee Scheme as and when it is in place. The suitable guidelines will be framed and issued by the NCGTC when the scheme will be operational.

4. Factored Debts not eligible under the Scheme

The following factored debt shall not be eligible for being guaranteed under the scheme:

- i. Any factored debt in respect of which risks are additionally covered under a scheme operated / administered by any other scheme, to the extent they are so covered.
- ii. Any factored debt in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered.
- iii. Any factored debt, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.

5. Agreement to be executed by the Factor

The Factor shall be entitled to a guarantee in respect of eligible debt factored by it after it has entered into an agreement with NCGTC in such form as may be specified by NCGTC.

6. Responsibilities of Factor under the Scheme:

- i. The Factor shall evaluate the proposal for factoring in accordance with the extant rules and regulations and conduct the account(s) of the borrowers with normal factoring practices/financial prudence.
- ii. The Factor shall ensure to submit the information required by NCGTC for giving guarantee cover with regard to the factored debt within 3 days from the date of the first operation in the account.
- iii. The Factor shall ensure that the guarantee claim in respect of the factored debt and borrower is lodged with NCGTC after a period of 90 days but within 120 days from the date of account turning NPA, in the form and in the manner in this behalf and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrowers account which shall result in the Fund facing higher guarantee claims.
- iv. The payment of guarantee claim by NCGTC to the Factor does not in any way take away the responsibility of the Factor to recover the entire outstanding amount of factored debt given with recourse, from the borrower with applicable interest. The Factor shall exercise all the necessary precautions and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by NCGTC.
- v. The Factor shall comply with such directions as may be issued by NCGTC, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a credit guarantor, as NCGTC may deem fit and the factor shall be bound to comply with such directions.
- vi. The Factor shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the fund in all the ways open to it as it might have

exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Fund. The Factor shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Fund as the guarantor. In particular, a guarantee cover should not dilute or affect in any way the right of the Factor to enter into compromise and/or settlement with a borrower or debtor. Any such settlement etc. should be promptly intimated to NCGTC. Further, the factor shall secure for the Fund or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to publish the defaulted borrowers' names and particulars by NCGTC.

CHAPTER III

GUARANTEE FEE

7. Guarantee Fee

- i. With a view to facilitate wider coverage of the Fund and its sustainability, the guarantee fee chargeable from the MLIs shall be 0.10% per month for “factoring with recourse” and 0.12% per month for “factoring without recourse” on the outstanding balance at the previous month end.
- ii. First Guarantee Fee may be made payable from the beginning of the next month as guarantee cover would be available from the date of receipt of fee by NCGTC. Subsequently, monthly guarantee fee may be paid within 7 days of the end of the calendar month to which it pertains (the Factor would need to furnish a Management Certificate duly signed by authorized signatory within 3 days from the end of the month, after which, a Credit Guarantee Demand Advice Note [CGDAN] would be issued by NCGTC within 1 day of receipt of Management Certificate). Provided further that in the event of non-payment of guarantee fee, liability of the Fund to guarantee such credit facility would lapse in respect of those facilities against which the service charges are due and not paid,
- iii. The amount equivalent to the guarantee fee payable by the eligible factor may be recovered by it, at its discretion from the eligible borrower.
- iv. The guarantee fee once paid by the factor to NCGTC is non-refundable. Guarantee fee shall not be refunded, except under certain circumstances like -
 - Excess remittance,
 - Remittance made more than once against the same factored debt,
 - Guarantee fee paid in advance but application not approved for guarantee cover under the scheme, etc.

CHAPTER IV

GUARANTEES

8. Extent of the Guarantee

- Credit guarantees cover on the amount in default covering factoring transactions [assistance extended by factors to MSMEs] as per Factoring Regulations Act 2011 is detailed here under:
 - First loss of 10% of the amount in default to be borne by Factors.
 - The remaining 90% of the amount in default will be borne by NCGTC and Factors in the ratio of 2:1 respectively.

The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the currency of the factoring facility.

CHAPTER V

CLAIMS

9. Invocation of guarantee

Claims shall be filed by MIs with the proposed Fund, after 90 days from the date of account turning NPA but before 120 days. While, 75% of claim amount shall be settled within a period of 120 days

from the date of the lodging of claim and completion of required documents, the balance 25% of the claim amount shall be paid after 24 months from the date of 1st settlement or exhausting all legal remedies based on a certificate from the factor, whichever is earlier.

10. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

- i. The Factor shall furnish to NCGTC, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information as may be demanded or required from time to time.
- ii. Every amount recovered and due to be paid to NCGTC shall be paid without delay, and if any amount due to NCGTC remains unpaid beyond a period of 30 days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to NCGTC by the Factor at the rate which is 4% above Bank Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.
- iii. In the event of a client owing several distinct and separate debts to the factor and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Fund or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the lending institution to the factored debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such client or the manner in which such payments are actually appropriated.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

11. Appropriation of amount realized by the factor in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked.

Post invocation of the guarantee claim, if any recoveries are made, MLIs shall first adjust such recoveries towards the legal costs incurred by them for recovery of the amount and then shall share proportionately the recoveries affected in an account, upto the extent of amount of claim settled by NCGTC.

12. Fund's liability to be terminated in certain cases

- i. If the liabilities of a borrower to the factor on account of factored debt guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the factored debt and any other terms and conditions, if any, subject to which the factored debt can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the factored debt shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.
- ii. If a borrower becomes ineligible for being granted factored debt under the Scheme, the liability of the Fund in respect of factored debt granted to him/her by a Factor under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the Factor as on the date on which the borrower becomes so ineligible, subject, however, to the limits, if any, on the liability of the fund fixed under this Scheme.

13. Returns and Inspections

- i. The Factor shall submit such statements and furnish such information as NCGTC may require in connection with Factored debt under this Scheme.
- ii. The Factor shall also furnish to NCGTC all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the Factor or any officer thereof for anything done in good faith.
- iii. NCGTC/or its representative shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of

advances) of the Factor, and of any borrower from the Factor. Such inspection may be carried out through the officers of NCGTC or any other person appointed by NCGTC for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the factor or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of NCGTC or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession.

14. Conditions imposed under the Scheme to be binding on the Factor

- i. Any guarantee given by the Fund shall be governed by the provisions of the Scheme as if the same had been written in the documents evidencing such guarantee.
- ii. The Factor shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme but notwithstanding any provision in any other document or contract, the Factor shall in relation to the Fund/NCGTC be bound by the conditions imposed under the Scheme.

15. Modifications and exemptions

- i. NCGTC reserves to itself the right to modify, cancel or replace the scheme so, however, that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the Scheme up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.
- ii. Notwithstanding anything herein contained, NCGTC shall have a right to alter the terms and conditions of the Scheme in regard to an account in respect of which guarantee has not been issued as on the date of such alteration.
- iii. In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against the fund in respect of facilities covered by the Scheme, unless the provisions contained in Clause (i), (ii) and (iii) of Section 10 of the Scheme are complied with by the factor prior to the date on which the cancellation comes into force.

16. Interpretation

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of NCGTC shall be final.

17. Supplementary and general provisions

In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, NCGTC may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme.

CHAPTER VII

CREDIT GUARANTEE FUND FOR FACTORING

18. Name and Registration of the Trust

To administer the Scheme, a Credit Risk Guarantee Fund Trust has been set up in the name and style of “**Credit Guarantee Fund for factoring**” under the Indian Trust Act, 1882, and to be administered by a Board of Trustees.

19. Objectives

The objects and the purpose of the Trust are:

- (a) To provide partial guarantee to factored debts and to encourage Factoring of receivables of MSMEs in India by promoting “factoring without recourse”.
- (b) To undertake/ acquire/ procure / take over / run / implement any other scheme of Funds of like nature as may be decided by the Settlor / or the Board of Trustee with the prior approval of the Settlor.

- (c) To undertake securitization of the guaranteed loans and to do all other acts or things as may be necessary thereof either directly or otherwise, in such manner as may be decided by the Trustee;
- (d) To appoint the staff, acquire, hold and dispose of property, to meet all expenses necessary for the proper and effective management of the Trust, and to do all other acts or things as may be necessary or conducive to the attainment of the objectives.
- (e) To receive grants, donations, contributions from national or international donors/agencies, persons as the case may be.
- (f) To execute and issue bill of exchange, hundies, promissory notes, such other instruments as may be necessary and expedient in course of discharge of the functions of the Trust,
- (g) To do such other acts and things as may be incidental to, or consequential to the objectives hereinabove provided.

20. Board of Trustees

- (a) The Settlor hereby appoints National Credit Guarantee Trustee Company Ltd., a company incorporated under the Indian Companies Act, 1956 having its registered office at Jeevandeep Building, Sansad Marg, New Delhi 110001 as the sole Trustee, to manage and operate the Trust fund as provided herein.
- (b) The Trustee shall operate the Credit Guarantee Scheme for Factoring which may be modified or altered or amended by the Settlor from time to time provided such modifications/alterations shall be made applicable from the date of intimation to Trustee and shall provide reasonable time to Trustee to change its infrastructure etc. as may be required.
- (c) The Trustee shall operate any other schemes which may be added, modified or altered or amended by the Settlor from time to time provided such modifications/alterations shall be made applicable from the date of intimation to trustee and shall provide reasonable time to Trustee to change its infrastructure etc. as may be required.

21. Powers and Functions of the Trustee

- (a) The Trustee shall manage and administer the affairs of the Trust either itself or through other entity and shall have overall supervision and superintendence of the Trust and all matters incidental thereto or connected therewith.
- (b) The Trustee shall strive to fulfill the objectives of the Trust and carry out the implementation of the Credit Guarantee Fund Scheme for Factoring as contained in Guarantee Scheme, which may be modified or amended by the Settlor from time to time or may be replaced or substituted by another scheme as the case may be, to fulfill the objects of the trust.
- (c) The Settlor may introduce more schemes if so desired to fulfill the objective of the trust and any matter incidental thereto and the Trustee shall be responsible for operating the scheme/s of the trust as mandated by Settlor. On introduction of any such new scheme as and when introduced by the Settlor or on modification of any existing Scheme/ Fund the Credit Guarantee Scheme for Factoring hereto shall stand modified and substituted accordingly.
- (d) The Trustee shall have power and discretion to accept, upon such terms as it may deem fit, any donations and contributions (whether such donations or contributions be in cash or other movable or immovable property or in any other form), from any person or persons, agencies, institutions, body corporate, etc., situated in India and/or abroad, provided always that the terms upon which such donations or contributions shall be accepted shall not in any way be inconsistent with or repugnant to the objectives of this Trust and that no other name shall be associated with the name of the Trust.
- (e) To enter into all such negotiations and contracts, and execute and do all such acts, deeds and things for or on behalf of the name of the Trust as the Trustee may consider expedient for or in relation to any of the matters or otherwise for the purpose of the Trust;

- (f) To achieve the objectives of the Trust, the Trustee shall have the power and discretion to acquire, hold and dispose of properties whether movable or immovable and to contract, subject to norms of financial prudence and transparency.
- (g) The Trustee shall, subject to the provisions hereinabove, from and out of the income realized from the properties, assets and funds of the Trust, and from other such endowments, and from Government grants, and from any other sources which they may get, expend such sum or sums of money as they may deem proper towards the maintenance of the properties of the Trust, pay all rents and taxes, pay such sums towards the repayment of any borrowing by the trustee and meet all expenses which the trustee may in its discretion think necessary for the proper and efficient management of the Trust, and in particular pay the salaries and allowances of all staff and servants, purchase books, equipment and furniture, software & IT infra, license fee etc., pay management contributions for the Provident Fund of the staff, Gratuity, Pension, etc. and generally do all acts, matters, and things which may be necessary for any object, purpose of or in relation to the Trust in any manner or into any Scheme of the Trust; to do all such acts, deeds and things, and exercise such powers and sign and execute all such documents, certificate, forms, reports, declarations, affidavits, indemnities as may be necessary in discharge of functions and duties related to Trust/ Scheme/ Funds or any of them or matters connected therewith in any manner whatsoever.
- (h) The Trustee may authorize Chief Executive Officer or any other official of Trustee to open and operate any account on behalf of the Trust, to execute any contract, to endorse and transfer promissory notes, stock, share certificates, securities and documents of title to goods standing in the name of or held in the name of or held by the Trust and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments and to sign all other accounts, receipts, documents or papers.
- (i) The Trustee may constitute such Advisory Committees consisting partly of Directors of Trustee and partly of other persons including persons representing Government, Institutions, commercial banks, FIs, organizations etc. for such purposes as it may think fit. The non-official members of the Advisory Committee(s) so constituted shall be paid such fees and allowances as may be determined by the Board of Trustee for attending the meetings of such Committee(s) and such expenses shall be charged to the income/corpus of the Trust fund.
- (j) Trust shall sue and be sued through Trustee and the Board of Trustee shall delegate the powers to its officials to take necessary steps in this regard including but not limiting to appoint and engage advocates, solicitors, valuers, chartered accountants, company secretary or any other professional and experts for that matter, in connection with discharge of function under the Trust or relating to any of the Scheme or Schemes being implemented and to pay their remunerations and charges from the Trust Fund(s), and to rely on their advice and opinions, without being liable for any consequence of the advice and opinion obtained in good faith.
- (k) Generally to exercise all such powers as it may be required to exercise under the applicable laws for the time being in force and do all such matters things as may be required to promote any of the Schemes of the Settlor/ Trust or as may be incidental to or consequential upon discharge of its functions and exercise and enforcement of all or any of the powers and rights.
- (l) The Trustee shall discharge all obligations, duties and responsibilities entrusted upon it as per the apparent tenure and objectives of the Trust/ any clarification or modification thereof by the Settlor and the applicable law.

22. Staff.

The Trust shall be managed by Trustee professionally without there being any financial obligation and liability for any of the functions relating to the Trust or the Fund for that matter. It is clarified that neither Trustee, its Board, individual Directors, officials or representatives or persons authorized by it shall incur any liability with regard to and on account of carrying out any of the functions of managing the Trust nor shall incur any financial obligation in regard thereof. Trust shall keep Trustee, its Board, its officials other persons as aforesaid indemnified in that regard.

23. Allowance to Trustee as Office – Bearers

Trustee may be paid such fees, charges and expenses (including the applicable tax thereof) as may be agreed from time to time. Trustee may also be reimbursed proper and reasonable expenses incurred in performing their duties, exercise of powers and discharge of obligations under this Indenture.

The Trust including its non official directors or officials may also be paid such fee and reimbursed such expensed as may be decided by Trustee in consultation with Settlor from time to time. All the expenses in connection with the holding of meetings and all sums, (by way of fee/ travelling and lodging and boarding expenses) incurred in this regard shall be payable out of the Funds of the Trust.

24. Audit

The accounts of the Trust shall be audited every year by a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants who will be appointed by the Trustee on the recommendation of Comptroller and Auditor General of India. The remuneration and tenure of such auditor shall be determined by the Board of Directors of the Trustee.

The audited accounts of the Trust shall be adopted at a meeting of the Board of Directors of the Trustee called for the purposes and a copy thereof together with auditor's report shall be furnished to the Settlor separately within a period of one month of such adoption.

25. Indemnity

- (a) Every member of the Board of Directors of Trustee, CEO, other officials, authorized representatives of Trustee shall be indemnified by the Trust against all losses, damages, claims etc. and expenses incurred by him / her in relation to the discharge of his / her duties except such as are caused by his / her own deliberate or willful acts of omission or commission.
- (b) Trustee shall not be liable for any breach of trust committed by any official of it except in respect of his / her own act and in respect of any property in his / her custody.
- (c) The trustee shall not be under any liability on account of anything done or omitted to be done or suffered to be done by the Trustee in good faith in accordance with, or in pursuance of any request or advice of the Settlor.
- (d) Nothing herein contained shall be construed so as to prevent the Trustee from acting as Trustee of trust similar or separate from the Trust and retaining for its own use and benefit, remuneration, profits and advantages which it may derive there from.
- (e) If the Trustee or the Chief Executive Officer or any other officials of the Trustee is required by Applicable Law to provide any information regarding the Trust Fund and/or the Settlor/ Trustees and income of the Trust Fund and provisions of these presents, and complies with such request in good faith, whether or not it was in fact enforceable, the Trustee or the Chief Executive Officer or any other officials of the Trustee shall not incur any liability to the Settlor or any of them or to any party as a result of such compliance or in connection with such compliance.
- (f) Nothing, however, contained shall exempt or indemnify the Trustee for (a) a deliberate failure to protect the interest of the Settlor, (b) a breach of trust arising out of its own gross negligence, fraud or dishonesty, and (c) a failure to show the degree of care and diligence required of it in carrying out its duties.

26. Powers of the Settlor

- (a) Subject to provision of clause 28 hereof, the Trust is irrevocable. Subject as aforesaid, the terms of this declaration may be altered or modified and new Schemes may be added, amended or modified by the Settlor. Provided, however, that no amendment contrary to the objectives of the Trust herein before set forth shall be valid and effective.
- (b) Subject to the clause (1) above.
- i. The Settlor, may at any time or times hereafter by any deed or deeds revocable or irrevocable or conduct expressly referring to this power or the property subject thereto, may settle more trusts funds and appoint Trustee as it may deem fit;
 - ii. The Settlor may from time to time alter the provisions including appointment and powers of Trustee and rules and regulations with regard to the conduct of the business and all matters in respect of which provisions are made in this declaration, as it may deem proper.

27. Jurisdiction of the Courts

The competent Court in Delhi shall have exclusive jurisdiction to decide any question regarding the interpretation and construction of this Declaration or administration of the Trust and the related matters

28. Extinction of Trust

If the objectives for which the Trust has been created shall fail or cannot be fulfilled by The Trustee, the Settlor shall be at liberty to apply the Trust Fund and the properties of the Trust, to any other objects or of a like nature which the Settlor shall consider proper and appropriate.

29. Implementation and Operational Cost

- (a) The schemes of the Fund will be operationalised and implemented by the Trustee i.e. a “National Credit Guarantee Trustee Company Ltd.” (NCGTC) a company incorporated under the Indian Companies Act, 1956 and is set up to act as trustee and operate the various credit guarantee funds set up / being set up/ to be set up by GoI, other national or international bodies etc.
- (b) Trustee shall be responsible for the day to day operation and implementation of Scheme including registration of Member Institutions, guarantee approval, guarantee maintenance, fee collection, claim settlement, investment of the funds, scheme propagation IT Platform etc. and all the matters incidental to operation of the Scheme.
- (c) The entire operational cost of running the scheme under this Trust will be met out by the Trustee out of the income of the Trust including guarantee fee, interest & charges relating to the Trust fund and Trustee shall be entitled to claim the same from the Trust income or corpus as the case may be.

30. Investment

The Trustee may invest in such of the securities / instruments of investment or lend in the call money or other money markets the amounts available in the corpus fund or any other fund or account which are not for the time being required for the carrying out the objectives of the Trust in such manner as may be approved by the Board of Directors of the Trustee or any committee of the Board constituted for the said purpose. The Management of Trustee shall be guided by the principles of financial prudence or as directed by the Management Committee and shall not be liable for any loss or damages or liability arising out of such investments.

31. Borrowings

The Trustee shall have power to borrow funds from India and / or abroad from such person or persons as may be necessary for carrying out the objectives of the Trust or implementation of the scheme as also powers to give the assets of the Trust as the securities or to give guarantees, as may be necessary for such borrowings provided that all such borrowings shall be made after the prior approval of the Settlor.

CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS

32. Delegation/Framing of Rules

The Trustee shall delegate its powers and make rule to give effect to, and carry out the purpose of the Trust and secure effective control over the affairs of the Trust. In particular and without prejudice to the generality of such power, the Trustee may provide for all or any of the following matters namely:-

- a) Issue of guarantee, the right and obligations, terms and conditions thereof,
- b) The form and manner in which an application may be made for the purpose of issuance of such guarantee or any matter connected therewith;
- c) Issuance of the guarantee and the form and manner in which such guarantee may be issued or any of the matters connected therewith;
- d) The procedure for settlement of claim under any of the guarantee or any matter connected therewith;
- e) Allocation of capital in respect of any of the Scheme or Fund, maintenance of separate accounts in respect thereof and other matters relevant to the Scheme or Funds;
- f) Manner of maintenance of the records and particulars of Funds in respect of any one or more Scheme or Fund including matters such as maintaining of separate accounts for each Scheme or Fund and administration of all aspect of such Scheme or Fund consistent with the terms thereof.
- g) Norms of investment by the Trust in accordance with the objectives of the Trust and in accordance with the powers and authorities of the Trust as set out herein;
- h) Such other administrative, procedural or other matters relating to the administration or management of the affairs of the Trust or any Scheme or Fund thereof and which matters are not by the very nature required to be included or provided for in this Indenture or any of the order of the Settlor for that matter.
- i) Procedure for conduct of any meeting of the Trustee/Advisory Committees or other committees or any of the matter connected therewith.
- j) Appointment, recruitment of its staff and their service conditions etc .
- k) Any other matter incidental thereto or connected with the operations of the scheme/s of the Trust/s

[F. No. 17/6/2013-I.F. II (Vol. II)]

V. L. V. S. S. SUBBA RAO, Economic Advisor – I